औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना
1994

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1994

मध्यप्रदेश को, देश के औद्योगिक रूप से अग्रणी प्रदेशों की गणना में लाने के लिये अत्यधिक संभावनाएं हैं। औद्योगिक विकास मे गति और अधिक वृद्धि हेतु, अधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं क्षेत्रीय विकास का संतुलन तथा आम जनता के जीवन स्तर में सुधार हेतु रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य, इस औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1994 में रखा गया है।

औद्योगिक नीति एवं कार्य-योजना, 1994 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हो रहे तेज आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शासकीय नियंत्रण को कम करना आवश्यक होता जा रहा है। इसीलिये शासन की सुविधाकारी भूमिका को सुदृढ करना होगा। उद्योग के लिये भौतिक एवं मानव आधारित अधोसंरचना के आधार में वृद्धि हेतु उपाय तथा प्रोत्साहन के रूप में रियायतें तथा सुविधाओं का समावेश इस दस्तावेज में किया गया है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोगी संबंधों के विकास के साधन के रूप में कराधान के उपयोग की रचना इसमें की गई है।

राज्य शासन, प्रदेश में अधोसंरचना के विकास की गति में वृद्धि, विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक सघन करने के लिये अगले दो वर्षों में, उद्योगों हेतु वर्तमान प्रावधानित लगभग चार प्रतिशत की बजट राशि को बढ़ा कर सात प्रतिशत करने का प्रयास करेगी। औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना, 1994 में प्रशासन तंत्र को औद्योगिक विकास हेतु परिणाममूलक एवं संवेदनशील तंत्र के रूप में स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना, 1994 के बुनियादी प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है:-

1. मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक प्रदेशों की श्रेणी में लाना।
2. संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग विहीन विकास खण्डों में अतिरिक्त सुविधाएं।
3. मानव एवं नैसर्गिक संसाधनों के और अधिक उपयोग से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि करना।
4. रोजगार के और अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसरों का सृजन करना।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति एवं पिछड़े वर्गों में उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करना।
6. महिलाओं में उद्यमिता के विकास को पोत्साहन।

7. ग्रामोद्योग के विकास की गति में वृद्धि हेतु विशेष अवसरों का सृजन करना।

8. लघु उद्योगों के विकास हेतु नये अवसरों का निर्माण करना।

9. मध्यम एवं वृहद् क्षेत्रों को नवीन पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नये अवसरों का सृजन करना।

10. अति लघु एवं लघु तथा मध्यम एवं वृहद उद्योगों के मध्य आपसी प्रगाढ़ लाभदायक सहयोगी सम्बन्ध स्थापित करना।

11. उच्च प्रोद्योगिकी पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।

12. शत-प्रतिशत निर्यातक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाओं का सृजन।

13. अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहन।

14. "थ्रस्ट सेक्टर" के उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं विशेष योजनाओं को बनाना।

15. निजी क्षेत्र की भागीदारी में अधोसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देना।

16. सहकारी क्षेत्र को औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन।

17. वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु सुविधायें प्रदान कर औद्योगिक विकास की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का सूत्रपात करना।

18. पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन पर बल देते हुए त्वरित निराकरण हेतु प्रशासकीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित करना।

19. पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया का सृजन करना, जिससे उद्यमियों के साथ सतत् परस्पर सम्पर्क रहे।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि हेतु, मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं तेजी से विकसित अधोसंरचना के रूप में असीमित क्षमता विद्यमान है। प्रदेश की गतिशीलता इससे परिलक्षित होती है कि, मध्यप्रदेश ने देश में सर्वप्रथम चूंगी प्रणाली को समाप्त किया गया है। मध्यप्रदेश में ही देश भर में सर्वप्रथम "फाइबर आप्टिक्स" जैसी सीमांतक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। मध्यप्रदेश ही देश में सबसे प्रथम राज्य है, जिसने टोल मार्ग को विकसित कर अधोसंरचना विकास में गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार बनाने की नई दिशा दी है। औद्योगिक नीति एवं कार्य-योजना, 1994 प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं के चहुंमुखी विकास को, सुनिश्चित करने का प्रयास है।

1. रोजगार निर्माण

1.1 औद्योगीकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्माण का महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

1.2 उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास में वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर निर्मित करने पर विशेष जोर इस दस्तावेज में दिया गया है।

1.3 जनशक्ति के सुनियोजित आधार को मजबूती प्रदान करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

1.4 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति एवं महिलाओं में उद्यमिता के विकास एवं रोजगार के और अधिक अवसरों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जायेगा।

2. अधो-संरचना

2.1 औद्योगिक विकास केन्द्र, विकास की धुरी बने रहेंगे। इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। "एयर कार्गो काम्प्लेक्स" एवं "कन्टेनर डिपो" जैसी वाणिज्यिक अधोसंरचना का तीव्रगति से विस्तार किया जायेगा। निजीकरण को अधोसंरचना के विकास में बढ़ावा दिया जायेगा।

2.2 राज्य शासन द्वारा भूमि के औद्योगिक उपयोग की निरन्तरता की शर्त पर भूमि/शेड, 99 वर्ष के पट्टे पर दी जायेगी। इस अवधि में नियमानुसार राज्य शासन को लीज रेन्ट बढ़ाने का अधिकार होगा। उद्यमी को लीज पर दी गई भूमि को बेचने का अधिकार नहीं होगा। शासन की पूर्व अनुमति के बिना भूमि उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जा सकेगा। लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर लीज निरस्त की जा सकेगी।

2.3 भूमि एवं शेड के हस्तांतरण तथा उद्योगों के संगठन में परिवर्तन हेतु विभागीय प्रक्रियाओं को सरल किया जायेगा।

2.4 शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को छूट देने के लिये उद्योग आयुक्त को प्राधिकृत किया जायेगा।

2.5 औद्योगिक विकास केन्द्रों में दोहरी प्रशासकीय व्यवस्था समाप्त की जायेगी।

2.6 प्रत्येक विकास केन्द्र में अग्निशमन दस्ते, पुलिस स्टेशन जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

2.7 यदि संयुक्त प्रदूषण उपचार संयंत्रों की स्थापना की जाती है तो शासन द्वारा प्रोत्साहन दिया जावेगा।

2.8 औद्योगिक संगठनों को विकास केन्द्रों में सामाजिक एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अर्न्तगत स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र इत्यादि हेतु प्रत्येक विकास केन्द्र में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

2.9 उद्यमियों को विकास केन्द्रों के आसपास हवाई पट्टी के निर्माण हेतु शासकीय भूमि रियायती दर आवंटित की जायेगी। निजी भूमि अर्जित करने पर वास्तविक अधिगृहण मूल्य लिया जावेगा। यह हवाई पट्टी सर्वोपयोगी रहेगी।

2.10 भोपाल, इन्दौर एवं रायपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क कर प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश के और औद्योगिक केन्द्रों को वायु मार्ग के मानचित्र पर लाने एवं विद्यमान वायु सेवा में वृद्धि हेतु प्रयास किये जायेंगे। निजी क्षेत्र द्वारा प्रदेश में हवाई अड्डों के निर्माण का स्वागत किया जायेगा। भोपाल एवं इन्दौर के मध्य अन्तर-शहरी रेल सेवा स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। यह मुद्दा भारत सरकार के समक्ष लाया जायेगा।

2.11 पीथमपुर में शीघ्र ही "कन्टेनर डिपो" कार्यशील किया जायंगा। राज्य के अन्य भागों में भी कन्टेनर डिपो स्थापित करवाये जायेंगे।

2.12 प्रदेश के औद्योगिक उत्पादों के शीघ्र परिवहन की सुगम सुविधा सुनिश्चित करने के लिये इन्दौर में शीघ्र ही "एयर कार्गो काम्पलेक्स" कार्यशील किया जायेगा।

2.13 भोपाल में "व्यापार केन्द्र" की स्थापना की जायेगी। इसके उपरान्त क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। व्यापार मेले नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे। ये सुविधायें, औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य के और गतिशील योगदान में सहायक होंगी।

2.14 औद्योगिक संगठनों द्वारा स्थापित "परीक्षण एवं उपकरण केन्द्रों" को राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा। इन केन्द्रों में राज्य शासन की सहायता से प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। "इण्डो जर्मन टूल रूम" द्वारा विकसित किये जा रहे केन्द्र को आगामी कुछ माहों में क्रियाशील किया जायेगा।

2.15 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकास केन्द्रों में प्रदान की जा रही सुविधायें निरन्तर रखी जायेंगी। निजी संस्थाओं को भी व्यवसायिक आधार पर ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.16 औद्योगिक संगठनों को व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थानों के दिन प्रतिदिन के रखरखाव हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.17 निजी क्षेत्र का "आदर्श औद्योगिक नगर" के विकास हेतु स्वागत किया जायेगा। इस हेतु राज्य शासन द्वारा अंशदान के रूप में भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। आदर्श औद्योगिक नगरों में निजी क्षेत्र द्वारा उद्यमियों को विकसित भू-खण्ड एवं शेड उपलब्ध कराये जायेंगे एवं सामाजिक अधोसंरचना के रूप में आवास गृह, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं मनोरंजन केन्द्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.18 निजी क्षेत्रों को अति लघु एवं लघु उद्योगों के "विकास केन्द्र" की स्थापना हेतु राज्य शासन के अंशदान के रूप में भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

सहकारी क्षेत्र को इस प्रयोजन हेतु भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराई जावेगी।

2.19 भारत सरकार द्वारा प्रदेश में एक "लघु विकास केन्द्र" की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में और लघु विकास केन्द्रों की स्थापना के प्रयास किये जायेंगे। इन लघु विकास केन्द्रों को अति लघु एवं लघु उद्योगों हेतु आरक्षित कर स्थापित उद्योगों को "विकास केन्द्र" के समान सुविधायें एवं रियायतें प्रदान की जायेंगी।

2.20 औद्योगिक संगठनों से विचार-विमर्श कर उद्योग संचालनालय एवं औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा "विशेष औद्योगिक काम्पलेक्स" विकसित किये जायेंगे। इन काम्पलेक्सों को स्थान विशेष के लाभों को देखते हुए इलेक्ट्रानिक्स, वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण आदि विशेष उत्पादों हेतु आरक्षित किया जायेगा। इससे उद्यमियों को विपणन व्यवस्था, श्रमिक उपलब्धता स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इससे कच्चा माल आदि प्राप्ति और सुविधाजनक हो सकेगी, जिससे उद्यमी "लगभग शून्य इन्वेन्टरी" के आधार पर उद्योग चला सकेंगे। निजी क्षेत्रों को इस प्रकार के काम्पलेक्सों के विकास हेतु प्रोत्साहित करने के लिये रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

2.21 राज्य शासन द्वारा रसायनों पर आधारित विशेष औद्योगिक काम्पलेक्स विकसित करने की योजना तैयार की जायेगी।

2.22 प्रदेश में हीरे की तराशी पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु "डायमंड पार्क" बनाया जायेगा।

2.23 इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए इस उद्योग को विशेष सहायता देने के लिये "इलेक्ट्रानिक पार्क" का विकास किया जायेगा।

2.24 निर्यातक उद्योगों के विस्तार एवं विकास के महत्व को देखते हुए एक "एक्सपोर्ट पार्क" विकसित किया जायेगा। इस पार्क में निर्यातक उद्योगों को विशिष्ट सुविधाओं सहित इन्टरमोडल ट्रांसपोर्ट द्वारा बंदरगाहों से सीधे जोड़ने के लिये परिवहन व्यवस्था निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने हेतु प्रयास किया जावेगा।

2.25 बायो-प्रौद्योगिकी एवं जेनेटिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी उद्यान का विकास किया जायेगा।

2.26 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों में से कुछ दुकानें ग्रामोद्योग के उद्यमियों के लिये आरक्षित की जायेंगी।

2.27 खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना के लिये रियायती दरों पर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के लिये जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जायेगा।

3. उद्योगों के लिए विद्युत नीति

3.1 प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने एवं विशेषकर उद्योगों के लिये विद्युत की पर्याप्त एवं गुणात्मक आपूर्ति के लिये, आने वाले वर्षों में हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3.2 यदि कोई उद्यमी स्वयं के उपयोग हेतु डीजल या 25 मेगावाट तक क्षमता का थर्मल (जिसमें "वेस्ट हीट" का उपयोग भी किया जा सकेगा।) कैप्टिव-जैनरेटिंग सेट लगाना चाहता है तो उसे इसके लिये विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा/मुख्य विद्युत निरीक्षक को पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन करने पर 15 दिन में निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी जायेगी–

क- अगर उद्यमी अपनी संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति "कैप्टिव जैनरेटिंग सेट" से करना चाहता हो तो उसको इस प्रकार आवेदन करने पर अनुमति दी जायेगी।

ख- यदि उद्यमी अपनी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति कैप्टिव जेनरेटिंग सेट से करना चाहता है तो इस प्रकार आवेदन करने पर अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके साथ मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से विद्युत प्रदाय कुछ शर्तों के साथ दिया जायेगा।

3.3 अगर थर्मल जैनरेटिंग सेट की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होगी तो ऐसे प्रकरणों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार की भी अनुमति की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रकरणों में उद्यमी द्वारा आवेदन

एवं परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित करने के 15 दिन के अंदर विद्युत मंडल इसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज देगा एवं प्राधिकरण से यथाशीघ्र अनुमति प्राप्त करने का प्रयास भी किया जायेगा।

3.4 यदि कोई उद्यमी स्वयं के उपयोग हेतु लघु/लघुत्तम जल विद्युत या ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोत से संयंत्र (जैसे-पवन ऊर्जा, सौर फोटो-वोल्टाइक, बायोगैस, इत्यादि) लगाना चाहता है तो उसके द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं ऊर्जा विकास निगम को पूर्ण जानकारी सहित आवेदन करने पर 15 दिन में अनुमति प्रदान कर दी जावेगी।

3.5 यदि कोई उद्यमी स्वयं की आवश्यकता से अधिक क्षमता के डीजल/थर्मल/लघु एवं लघुत्तम जल विद्युत के जैनरेटिंग सेट या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के संयंत्र लगाता है एवं वह स्वयं की आवश्यकता से अधिक विद्युत का प्रदाय पास ही में स्थित किसी अन्य उद्यमी को करना चाहता है या केवल अन्य उद्यमियों को विद्युत प्रदाय बतौर बिक्री के करने के लिये किसी भी प्रकार का संयंत्र लगाता है तो उसे विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के प्रावधानों क् अंतर्गत मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा, आवेदन करने के 15 दिन के अंदर अनुमति प्रदान कर दी जावेगी। परंतु इसके साथ भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्यमी को मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा/मुख्य विद्युत निरीक्षक के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति भी प्राप्त करना होगी जो आवेदन प्राप्त होने पर तत्परतापूर्वक प्रदान की जावेगी।

3.6 यदि कोई उद्यमी उपरोक्तानुसार अपनी आवश्यकता से अधिक डीजल/थर्मल/लघु-लघुत्तम जल विद्युत के केप्टिव जैनरेटिंग सेट या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत के संयंत्र लागाता है एवं स्वयं की ही किसी दूरस्थ इकाई को विद्युत प्रदाय करना चाहता है या अपनी आवश्यकता से अधिक विद्युत का प्रदाय किसी भी अन्य उद्यमी की किसी दूरस्थ स्थित इकाई को करना चाहता है या केवल अन्य उधमियों को विद्युत का प्रदाय बतौर बिक्री के करने के लिये किसी भी प्रकार का संयंत्र लगाता है एवं इसके लिये मध्यप्रदेश विद्युत मंडलकी पारेषण एवं वितरण लाईनों का उपयोग करना चाहता है तो इसके लिये विद्युत मंडल द्वारा निम्नानुसार व्हीलिंग चार्जेज/ट्रांसमिशन लासेज के भुगतान की शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जावेगी–

(क) 40 कि.मी. तक दूरी के लिये सम्पूर्ण प्रदाय की गई विद्युत का 10%

(ख) 60 कि.मी. तक दूरी के लिये-सम्पूर्ण प्रदाय की गई विद्युत का 12%

(ग) 100 कि.मी. तक दूरी के लिये- सम्पूर्ण प्रदाय की गई विद्युत का 17%

(घ) 100 कि.मी. से अधिक दूरी के लिये- सम्पूर्ण प्रदाय की गई विद्युत का 20%

3.7 यदि कोई उद्यमी अपने कैप्टिव जैनरेटिंग सेट/संयंत्र से अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित विद्युत मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को प्रदाय करना चाहता है या विद्युत मंडल को विद्युत विक्रय हेतु किसी भी प्रकार का संयंत्र लगाता है तो उसे विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। विद्युत दरों एवं शर्तों का निर्धारण विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के प्रावधानों एवं समय समय पर केन्द्र/राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत एवं निम्नलिखित समय अवधि के लिये अलग-अलग उद्यमी एवं म.प्र विद्युत मंडल के बीच संधिवार्ता द्वारा किया जायेगा:–

(क) रात्रि 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक।

(ख) सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक।

3.8 उद्यमी द्वारा अपने उत्पादन को मंडल की विद्युत प्रणाली में प्रदाय करने के लिये जो भी "इंटरकनेक्शन" के लिये लाईन, आदि डालने या "सिक्रोनाईजेशन" के लिये आवश्यक संयंत्र लगाने की आवश्यकता होगी तो वह स्वयं अपने व्यय पर उद्यमी को करना होगा।

3.9 औद्योगिक विकास केन्द्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्यमी यदि आपस में "कन्सोर्टियम" बनकर उपरोक्तानुसार केप्टिव जैनरेटिंग सेट/संयंत्र लगाना चाहते हो तो उनको इसकी अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.10 उपरोक्त सभी स्थितियों में उद्यमी को आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल लिंकेज समिति, नागरिक विमानन मंत्रालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल आदि से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे।

3.11 उपरोक्तानुसार कंडिका 3.2 से 3.7 के अंतर्गत प्रदेश में उद्यमियों द्वारा लगाये जाने वाले डीजल/थर्मल/लघु एवं लघुत्तम जल विद्युत के जैनरेटिंग सेट या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के संयंत्रों को नये उद्योग की श्रेणी में रखकर, नये उद्योगों को दी जा रही समस्त सुविधायें नियमानुसार प्रदान की जायेंगी।

3.12 नये उद्योंगों की स्थापना हेतु उद्यमियों द्वारा सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं लाईन विस्तार आदि के कार्य पूर्ण होने के बाद, टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर विद्युत मंडल द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया जायेगा।

3.13 औद्योगिक विकास केन्द्रों की विद्युत व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिये उन चयनित विकास केन्द्रों में जहां पूर्व से कार्यपालन अभियंता पदस्त नहीं है, पदस्थ किये जायेंगे, जिससे विद्युत संबंधित स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर हल हो सके एवं उद्योगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

3.14 उद्योगों की नई विद्युत स्थापना के "ले आउट" के अनुमोदन उपरांत उद्यमी द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद कार्य पूर्णता/परीक्षण सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने के 7 दिवस के अंदर निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

3.15 पूर्व की अधिसूचना दिनांक 6-11-92 द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु 125 के.वी.ए. तक की क्षमता के कैप्टिव जैनरेटिंग सेट्स/विद्युत संयंत्र पर बिना किसी समय सीमा के एवं 125 के.वी.ए. से अधिक क्षमता के लिये प्रथम 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से जो छूट प्रदाय की गई है, वह जारी रहेगी।

3.16 शतप्रतिशत निर्यात उन्मुख एवं निरंतर उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को यथासंभव विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा।

4. मानव आधारित संसाधन

4.1 मध्यप्रदेश में औद्योगिक मानव दिवसों की हानि, देश में न्यूनतम है।

4.2 उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मानव आधारित संसाधन की गुणवत्ता में निरन्तर उन्नयन किया जायेगा।

4.3 औद्योगिक संगठनों से विचार-विमर्श कर, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्यप्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान एवं मध्यप्रदेश कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन द्वारा परस्पर समन्वय से उद्यमियों के ओरियन्टेशन कार्यक्रमों को विकसित किया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों में उद्यमिता विकास हेतु विशेष बल दिया जायेगा। महिलाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित, उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों को आयोजित किया जायेगा। इन प्रयासों के समन्वय हेतु शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी।

4.4 पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उपयोग-कर्ताओं से विचार विमर्श कर विशिष्ठ रूप से उपयोगी बनाया जायेगा।

4.5 उद्योग विकास के वर्तमान स्वरूप एवं भविष्य की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये आगामी दस वर्षों के लिये मानव संसाधन की आवश्यकता का आंकलन कर इसे विकसित किया जायेगा।

4.6 स्थापित किए जा रहे उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के लिए योजना तैयार की जावेगी ताकि औद्योगीकरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। औद्योगिक इकाइयों को प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष सुविधायें दी जायेंगी। अप्रेन्टीसशिप एक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण के अवसरों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5. कर में रियायतें एवं अन्य सुविधायें

5.1 औद्योगीकरण में गति के लिये अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार आवश्यक शर्त है। सुविधायें एवं करों में रियायतों की भी औद्योगीकरण के प्राथमिकता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

5.2 वर्तमान प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों को योजनानुसार तथा पात्रता के अनुरूप शेष लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। विक्रय कर की समाप्ति के बाद वर्तमान योजना के अन्तर्गत पात्र इकाइयो को पात्रता की शेष अवधि के लिये वाणिज्य कर की तदनुरूप सुविधा प्राप्त होगी। उद्योगों को प्राप्त हो रही ऐसी सुविधाएं जिनके स्वरूप में औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना 94 में परिवर्तन नहीं किया गया है, यथावत प्रभावी रहेंगी जब तक कि अन्यथा संशोधित न की जावें।

5.3 राज्य लागत पूंजी अनुदान योजना 1989 लघु उद्योग इकाइयों पर लागू रहेगी। सहकारी क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें प्लांट एवं मशीनरी पर कम-से-कम एक करोड़ का पूंजी निवेश किया गया हो तथा सदस्य संख्या कम से कम 100 हो, को भी पात्रता में सम्मिलित किया जावेगा।

5.4 औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना 1994 की घोषणा दिनांक के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को इस योजनानुसार सुविधा की पात्रता होगी। योजना की घोषणा के पूर्व निर्धारित प्रभावी कदम उठाने वाली इकाइयें को यह विकल्प होगा कि वे नई नीति एवं कार्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न सुविधाओ के स्थान पर घोषणा के पूर्व प्रभावी योजनाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करें, परन्तु इस

हेतु यह आवश्यक होगा कि ऐसी इकाइयां अपना वाणिज्यिक उत्पादन 1-4-95 के पूर्व करें। ऐसी मध्यम/वृहद क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है परन्तु ततप्रचलित राज्य लागत पूंजी अनुदान योजना के अन्तर्गत, अग्रिम अनुदान प्राप्त कर लिया है, को औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना 94 के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि वे प्राप्त की गई अनुदान की राशि राज्य शासन को 1-4-95 के पूर्व वापिस करें।

5.5 ''प्रभावी कदम'' से आशय, निम्न से कम से कम दो शर्तें पूर्ण करने पर माना जावेगा।

इकाई ने--

(अ) भूमि का आधिपत्य ले लिया हो।

(ब) परियोजना में भवन के लिये अनुमानित लागत का कम से कम 50% निवेशित कर दिया हो।

(स) परियोजना में अनुमानित प्लांट एवं मशीनरी के कम से कम 50% के फर्म आर्डर दे दिये गये हों।

5.6 उद्योगों को विक्रय कर/वाणिज्य कर की सुविधा निम्नानुसार उपलब्ध होगी--

जिले की श्रेणी	विक्रय/वाणिज्यिक कर से मुक्ति		विक्रय/वाणिज्यिक कर से आस्थगन	
	अधिकतम* लाभ की सीमा	पात्रता की अवधि	अधिकतम लाभ* की सीमा	पात्रता की अवधि
विकसित	125%	3 वर्ष	175%	4 वर्ष
पिछड़ा जिला				
"अ" श्रेणी	150%	5 वर्ष	200%	7 वर्ष
"ब" श्रेणी	200%	6 वर्ष	250%	8 वर्ष
"स" श्रेणी	250%	7 वर्ष	300%	9 वर्ष

* अधिकतम लाभ इकाई के स्थायी पूंजी निवेश के उक्त कालम में दर्शाये प्रतिशत तक परिसीमित होगा।

(अ) रु. 10 लाख तक स्थाई पूंजी निवेश वाली इकाइयो को वर्तमान में स्थाई पूंजी निवेश का अधिकतम 90% लाभ ही उपलब्ध है। उक्त सीमा को नयी योजना में बढ़ाकर कर से मुक्ति की योजना के लिये 100% तथा आस्थगन की सुविधा के लिये 150% किया जावेगा।

(ब) इकाई को यह सुविधा उत्पादित वस्तुएं, सहउत्पाद, अविष्ठ पदार्थ, कच्चा माल तथा अनुशांगिक वस्तुओं तथा पैकिंग मटेरियल पर प्राप्त होगी।

(स) कर से आस्थगन 5 वर्ष के लिये होगा। 6वें वर्ष में नियमानुसार इकाई द्वारा आस्थगित राशि बिना ब्याज के देय होगी। निश्चित समयावधि में आस्थगित देय कर राशि का भुगतान न करने पर इकाई की शेष पात्रता अवधि निरस्त की जा सकेगी तथा उक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

(द) महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों को 1 वर्ष की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(क) सभी विशेष पात्रता को सम्मिलित किये जाने के बाद किसी उद्योग को यह सुविधा उपलब्ध सामान्य सुविधा के अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(ख) वाणिज्यिक कर/विक्रय कर के परिसीमन के कारण स्थाई पूंजी निवेश परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। पूंजी निवेश के साथ वाणिज्यिक कर सुविधाओं के परिसीमन हेतु स्थाई पूंजी निवेश वृहद एवं मध्यम उद्योगों हेतु निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है–

(i) इकाई के लिये भूमि, भवन, यन्त्र एवं साज-सज्जा, विद्युत स्थापना एवं प्रदूषण निवारण यन्त्रों पर किया गया निवेश।

(ii) भूमि विकास पर किया गया व्यय जिसकी अधिकतम सीमा भूमि तथा भवन पर किए गए, निवेश का 10 प्रतिशत होगी।

(iii) प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु एवं प्रशासकीय भवन पर किया गया निवेश।

(iv) प्रयोगशाला एवं अनुसंधान हेतु यन्त्र एवं उपकरण।

(v) रेलवे साइडिंग की स्थापना पर किया गया पूंजीगत व्यय।

(vi) गोदाम, स्टोरेज टैक आदि पर किया गया व्यय।

(vii) लीज पर प्राप्त उत्पादन में काम आने वाले यन्त्र एवं उपकरण का मूल्य। (इस सम्बन्ध में विस्तृत परिभाषा विभाग द्वारा अलग से प्रसारित की जायेगी।)

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये उपरोक्त में (v) व (vii) को छोड़कर शेष पूंजी निवेश मान्य किया जावेगा।

वृहद एवं मध्यम उद्योगों में रु. 100 करोड़ तक पूंजी निवेश वाले उद्योगो के लिए कर के लाभ की अधिकतम राशि की गणना में उस उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के बाद 3 वर्ष तक किये गये स्थाई पूंजी निवेश को भी सम्मिलित किया जावेगा। 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योगो को इसी प्रकार उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष बाद तक किये गये पूंजी निवेश को गणना में सम्मिलित किया जावेगा।

5.7 संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु प्रदेश के समस्त जिलों के "उद्योग शून्य विकासखण्ड" में लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों को "स" श्रेणी में वर्गीकृत जिलों के समान वाणिज्यिक कर आस्थगन अथवा मुक्ति की विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी। "स" श्रेणी में वर्गीकृत जिलों के "उद्योग शून्य विकासखण्ड" में एक अतिरिक्त वर्ष की अवधि हेतु यह सुविधा प्रदान की जायेगी। "उद्योग शून्य विकासखण्ड" ऐसे विकासखण्डों को माना जायेगा जहां औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1994 की घोषणा दिनांक तक कोई भी मध्यम एवं वृहद् श्रेणी का उद्योग स्थापित न हो। औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1994 की घोषणा दिनांक के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में जाने वाले लघु (प्लान्ट एवं मशीनरी में 5 लाख से अधिक का पूंजी नियोजन हो), मध्यम एवं वृहद् उद्योगों को ही "उद्योग शून्य विकासखण्ड" की विशेष सुविधा प्रदान की जायेगी।

5.8 बड़े बांधों एवं परियोजना के डूब में आने वाले विस्थापितों के लिए घोषित पुनर्वास हेतु घोषित क्षेत्र में विस्थापित किये जाने वाले उद्योगों को "स" श्रेणी के जिलों में उपलब्ध वाणिज्यिक कर सुविधा उपलब्ध होगी। "स" श्रेणी का जिला होने पर ऐसी इकाइयों को 2 अतिरिक्त वर्ष की पात्रता होगी। इन इकाइयों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निर्धारित संख्या में विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करावें।

5.9 प्रदेश में राज्य शासन की स्वीकृति से औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा समय समय पर स्थापित एवं आधारभूत सुविधाओं पर व्यय किये गये विकास केन्द्रों में दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु वाणिज्यिक कर आस्थगन अथवा मुक्ति की विशेष सुविधा मिलेगी। यह सुविधा भविष्य में अनुमोदित किये जाने वाले विकास केन्द्रों में भी उपलब्ध होगी।

5.10 औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा स्थापित विकास केन्द्रों में भूमि उपलब्ध न होने पर विकास केन्द्रों की सीमा से पांच किलोमीटर के अन्दर स्थापित होने वाले नये उद्योगों को उस क्षेत्र की सामान्य सुविधा से एक वर्ष की अतिरिक्त सुविधा की पात्रता होगी।

5.11 औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना, 1994 की घोषणा दिनांक के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन में आने वाले उद्योगों को "नये उद्योग" माना जायेगा।

5.12 प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से उद्योगों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की नयी योजना लागू की जायेगी। जिन परिवारों की भूमि उद्योग विशेष के लिये अधिगृहीत की जायेगी। उनके परिवार के एक सदस्य को ऐसी इकाई के लिए रोजगार देना आवश्यक होगा, बशर्ते कि उस परिवार का उक्त भूमि पर स्वामित्व कम से कम 12 वर्ष का हो। इस हेतु पृथक से नियम बनाये जायेंगे।

5.13 मानव शक्ति के विकास हेतु विशेष वित्तीय सुविधायें ऐसे उद्योगों की दी जायेंगी जो प्रदेश के मूल निवासियों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध करायेंगे। इन उद्योगों को विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.14 'थ्रस्ट सेक्टर' को विस्तारित किया जाता है। अब थ्रस्ट सेक्टर में आटो मोबाइल, कृषि उपकरण, कृषि पर आधारित उद्योग, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, खनिज पर आधारित उद्योग, जीवन रक्षक औषधियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फिश केनिंग, आटो मोबाइल कम्पोनेन्ट्स, व्हाईट गुड्स, दूरसंचार एवं पेट्रोकेमिकल्स डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स, चमड़ा उद्योग तथा रेशम उद्योग सम्मिलित किये जाते हैं। इन थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित उद्योगों की सूची समय-समय पर राज्य शासन द्वारा घोषित की जायेगी। इन उद्योगों के लिये अधिकतम लाभ का परिसीमन लागू नहीं होगा बशर्ते कि प्लांट एवं मशीनरी पर कम से कम रुपये एक करोड़ की पूंजी का निवेश किया गया हो।

5.15 सहकारी क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना होने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए वाणिज्यिक कर आस्थगन अथवा मुक्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी बशर्ते कि कम से कम रुपये एक करोड़ का प्लांट एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम 100 हो।

5.16 इकाई द्वारा विस्तार करने के लिए किए गए अतिरिक्त निवेश को नई इकाई के समान, पात्रता परिसीमन तथा अवधि का लाभ प्राप्त होगा। यह सुविधा रु. 10.00 लाख से अधिक पूंजी निवेश वाले

इकाइयों के लिये उपलब्ध रहेगी। लघु उद्योग इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश का कम से कम 50% अतिरिक्त निवेश, प्लांट एवं मशीनरी पर करें। रु. 10.00 करोड़ तक पूंजी निवेश वाले मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग को विस्तार की सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना पर, कम से कम एक करोड़ का अतिरिक्त निवेश करना होगा। रु. 10.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली इकाईयों के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा रु. 5.00 करोड होगी। उपरोक्त सुविधा स्थापित क्षमता के 100% से अधिक उत्पादन के लिए लागू होगी।

5.17 पात्रता की अवधि में आधुनिकीकरण/विविधरूपीकरण करने वाली इकाई को, उसकी शेष पात्रता अवधि में नए उत्पाद पर भी कर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

5.18 प्रवेश कर की वर्तमान सुविधा की परिधि में आनुषंगिक वस्तुएं तथा केपीटल गुड्स को भी सम्मिलित किया जायेगा।

5.19 शतप्रतिशत निर्यातक इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। ऐसी इकाईयों को दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि हेतु वाणिज्यिक कर की सुविधा तथा 8 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश कर से छूट दी जावेगी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम रु. 2.00 करोड़ पूंजी निवेश वाले उद्योग को भी शत् प्रतिशत निर्यातक इकाईयों के समान सुविधा प्राप्त होगी, परन्तु यह आवश्यक होगा कि अनिवासी भारतीय इस इकाई में प्रवर्तक अंश पूंजी का कम से कम 50% निवेशित कर रहा हो।

5.20 विद्युत अनुदान योजना, 1989 समाप्त की जाकर, बचत की राशि आधारभूत संरचना के विकास के खर्च पर की जायेगी।

5.21 लघु उद्योग इकाइयों के लिये लागू ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत सामान्य उद्यमियों के लिये दस हजार रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा को औद्योगिक नीति एवं कार्ययोजना, 1994 की घोषणा दिनांक से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जायेगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को चार प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है। औद्योगिकी नीति एवं कार्य योजना, 1994 की घोषणा दिनांक से इसे बढ़ाया जाकर छः प्रतिशत किया जायेगा तथा पूर्वानुसार अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी।

5.22 मध्यम एवं वृहद क्षेत्र के उद्योगों को सहायक उद्योग लगवाने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। इस हेतु आकर्षक योजना घोषित की जावेगी।

5.23 निर्यात में वृद्धि हेतु हमारे उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की जरुरत है। सुनिश्चित गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा में खरे उतरने की कुंजी है। इस परिप्रेक्ष्य में आई एस ओ 9000 की मान्यता प्राप्त करना एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि की प्राप्ति में एक सहयोगी की भूमिका निभाते हुये राज्य शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था को देय फीस भुगतान की पचास प्रतिशत तक की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.24 राज्य शासन औद्योगीकरण में वृद्धि के साथ सुनिश्चित पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष रूप से जागरुक है। इस हेतु उपकरण स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये पर्यावरण संरक्षण उपकरणों को वाणिज्यिक कर से मुक्त किया जायेगा।

5.25 सुविधाओं हेतु अपात्र उद्योगों की विद्यमान सूची पुनरीक्षित की जायेगी।

5.26 प्रदेश में अत्यधिक बड़े पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये "विशेष सुविधा पैकेज" तैयार किये जायेंगे।

5.27 पांच सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक पूंजी वैष्ठन से स्थापित होने वाले समस्त प्रकार के नये उद्योगों के लिये एक विशेष प्रोत्साहन योजना तैयार की जायेगी। इस योजना में वर्तमान में लागू "रुपये एक हजार करोड़ से अधिक पूंजी वैष्ठन वाले एकीकृत स्टील प्लान्ट्स की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना" के अनुरूप, राज्य लागत पूंजी अनुदान की सुविधा छोड़कर, संशोधित शर्तों के अन्तर्गत भूमि आवंटन आदि अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा।

5.28 दस करोड़ रुपये या इससे अधिक किन्तु सौ करोड़ रुपये से कम एवं सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक किन्तु पांच सौ करोड़ रुपये से कम के पूंजी वैष्ठन से स्थापित होने वाले समस्त प्रकार के नये उद्योगों हेतु "विशेष सुविधा पैकेजेज" तैयार किये जायेंगे।

5.29 कृषि एवं शहरी अनुपयोगी पदार्थों के प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु "विशेष योजना" तैयार की जायेगी।

6. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग

6.1 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग सेक्टर, औद्योगिक विकास का आधारस्तम्भ है। यही सेक्टर, दूर-दूर तक फैले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का वास्तविक औद्योगीकरण करता है। इस सेक्टर का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में, भूमि पर दबाव घटाने एवं बेरोजगारी तथा रोजगार की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये अनिवार्य है।

6.2 विकासखण्ड, जिला एवं सम्भाग स्तरीय कार्यदलों का गठन किया जायेगा। इन कार्यदलों में शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्यों के रूप में गणमान्य नागरिकों तथा पंचायतों एवं उद्यमियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा। ये कार्य दल एक दूसरे से समन्वय बनाकर सूचनाओं का आदान-प्रदान कर उद्यमियों में वितरण एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को सुदृढ़ एवं सुविधाकारी बनाने के लिये उपायों की अनुशंसा करेंगे। सम्भाग स्तरीय कार्य दल राज्य शासन एवं भारत सरकार की संस्थाओं सहित नई प्रौद्योगिकी तथा कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु निर्यात की संभावनाएं एवं अवसर उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठनों के सम्पर्क में रहेंगे। सम्भाग स्तरीय कार्य दल, विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय कार्य दलों से निकट एवं लगातार सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे।

6.3 कुटीर तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये आगामी तीन वर्षों में खादी तथा ग्रामोद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प, चर्मशिल्प उद्योगों के क्षेत्र में चार हजार व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा और उन्हें आवश्यक उपकरण व औजार देकर रोजगार में स्थापित किया जायेगा।

6.4 शासन का यह प्रयास होगा कि ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से एक लाख अस्सी हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

6.5 सुव्यवस्थित ग्रामीण औद्योगीकरण हेतु "परियोजना आधारित पहुंच" को प्रोत्साहित किया जायेगा, इस हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रवर्तित "जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना" का चरणबद्ध कार्यान्वयन के प्रयास किये जायेंगे। इसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में कार्यान्वित करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

6.6 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग सेक्टर को कच्चे माल के स्त्रोत, विपणन द्वार एवं वित्तीय संस्थाओं से प्रभावी रूप से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। खादी क्षेत्र द्वारा उत्पादित धागे का उपयोग हाथकरघा क्षेत्र में बढ़ाने के लिये अनुदान दिये जाने पर विचार किया जावेगा।

6.7 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों की विपणन संभावनाओं को खोजेगा। भंडार क्रय नियमों में संशोधन कर कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के चयनित उत्पादों को आरक्षित किया जायेगा।

6.8 सभी प्रकार के वस्त्रों की शासकीय खरीदी मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्यप्रदेश हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ, मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

6.9 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के उद्यमियों को विपणन हेतु सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.10 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यमियों को उत्पादन एवं विपणन में प्रोत्साहित करने के लिये शासन विशेष योजनाएं बनायेगी।

6.11 रेशम उद्योग के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। साइल टू सिल्क की भावना को सार्थक मूर्तरूप देने के लिये रेशम उद्योग के प्रत्येक घटक अर्थात् खेतों में शहतूत रोपण, रोपण से प्राप्त पत्ती से रेशम कीट पालन और कीटपालन से प्राप्त ककूनों के धागाकरण, को सर्वसम्भव सुविधा प्रदान की जावेगी। मलबरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी। रेशम उद्योगों के अन्तर्गत लाभदायक स्वरोजगार हेतु इस उद्योग की क्षमताओं का दोहन कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जायेगा। प्रदेश में स्थापित रेशम केन्द्रों को तकनीकी सेवा केन्द्रों, विस्तार केन्द्र तथा बीज उत्पादन केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। रेशम उद्योग के विकास हेतु ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जायेगी। निजी क्षेत्रों में रेशम के ककून उत्पादन को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिये कृषकों को अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक निजी क्षेत्र में ककून क्रय हेतु व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक कृषकों से समर्थन मूल्य पर ककून प्राप्त किये जायेंगे। इस समर्थन मूल्य का निर्धारण करने हेतु एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में शासकीय सदस्यों के अलावा ककून उत्पादकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा। प्रदेश में उत्पादित रेशम के ककून से धागा तैयार करने के लिये निजी इकाइयों को अपनी इकाइयां लगाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। रेशम संचालनालय की धागाकरण योजना में ग्रामीण महिलाओं को ककून से हाथ से धागा निकालना तथा चरखों अथवा कॉटेज बेसिन पर धागा निकालने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। धागाकरण इकाईयों के लिये ककून दर निर्धारण के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जावेगा। रेशम क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किये गये अनुसन्धान का इन्दौर तथा बस्तर

में स्थित अनुसन्धान केन्द्रों पर परीक्षण किया जायेगा। रेशम उद्योग के सर्वांगीण विकास तथा अन्य विस्तार कार्यों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

6.12 कोसा के विकास हेतु कोसा बीज केन्द्रों को और सुदृढ़ किया जायेगा। वन विभाग की सहायता से कोसा कीड़ों के पालन में विस्तार हेतु साजा एवं अर्जुन के पौधों का सघन रोपण किया जायेगा। रैली प्रजाति के नैसर्गिक कोसा ककून का उत्पादन बस्तर के अलावा अन्य साल बाहुल्य जिलों में किया जायेगा। ग्रामीण महिलाओं को मशीनों से टसर के धागाकरण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित टसर के धागे से वस्त्र निर्माण को प्रोत्साहित किया जायेगा। कोसा फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त कोसा फल उत्पादनकर्ताओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। समिति प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्य का निर्धारण जून माह में करेगी। बुनकरों को कोसा फल के विक्रय दर निर्धारित करने हेतु भी एक अन्तर-विभागीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें बुनकरों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जायेगा।

6.13 खादी एवं ग्रामोद्योग की वायबिलिटी बढ़ाने के लिये इनकी वर्तमान तकनीक का उन्नयन किया जायेगा। कुटीर उद्योगों की परम्परागत तकनीक को उन्नत किया जायेगा। मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों को कच्चा माल प्राप्त कर प्रदाय किया जायेगा तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था की जायेगी। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष एक हजार आठ सौ उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया जायेगा।

6.14 शासन द्वारा हाथकरघा क्षेत्र हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। बुनकरों को उचित दाम पर सूत प्रदाय किया जायेगा एवं हाथकरघों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में वृद्धि की जायेगी। सहकारी समितियों के माध्यम से बुनकरों को अंश पूंजी अनुदान दिया जायेगा। बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना, बचत योजनायें एवं स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया जायेगा।

6.15 भारत सरकार की नीति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जनता वस्त्रों का निर्माण कर रहे पांच हजार हाथकरघा बुनकरों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उच्च क्वालिटी के हाथकरघा वस्त्रों के निर्माण में संलग्न किया जायेगा।

6.16 हाथरकघा बुनकर सहकारी समितियां, जिनकी साख सीमा अवरुद्ध हो गई है, तथा वे अपने सदस्यों की रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी समितियों का पुनर्वास किया जायेगा ताकि वे अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान करने में पुनः सक्षम हो सकें।

6.17 प्रदेश में बुनकर बाहुल्य स्थानों पर सूत डिपो की स्थापना की जायेगी ताकि हाथकरघा बुनकरों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूत उचित कीमत पर वर्ष भर उपलब्ध हो सके।

6.18 हाथकरघा द्वारा उत्पादित वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई का प्रदेश में विकास किया जायेगा ताकि प्रदेश के रंगाई छपाई करने वाले कारीगरों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

6.19 शासकीय हाथकरघा प्रशिक्षण केन्द्रों को विकास एवं अनुसंधान केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रशिक्षण का स्तर उन्नत किया जावेगा।

6.20 पुराने हाथकरघों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी रखा जायेगा। परंपरागत उद्योगों के तकनीकी उन्नयन का प्रयास किया जायेगा।

6.21 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा ग्रामीण आर्टिजनों के लिये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। आर्टिजनों को आधुनिक औजार क्रय एवं कर्मशाला स्थापना में निगम द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। निगम द्वारा नियमित रूप से कच्चे माल का प्रदाय एवं उनके उत्पादों के विपणन हेतु सुविधा का विस्तार सुनिश्चित किया जायेगा।

6.22 हस्तशिल्प विकास के लिए मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम को नोडल एजेन्सी बनाया जायेगा। प्रत्येक शिल्पी को एक पास बुक उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उसे दिये गये अनुदान, ऋण, प्रशिक्षण, औजार का विवरण लिखा जायेगा।

6.23 कालीन उद्योग के विकास हेतु वूल प्लाण्ट और रंगाई प्लांट निजी क्षेत्र में लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.24 बाजार की मांग के अनुसार उपयोगी तथा कलात्मक हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन हेतु शिल्पियों की कुशलता में निरन्तर वृद्धि, नई डिजाईनों के सृजन तथा आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

6.25 ग्रामीण क्षेत्रों में चर्मोद्योग के विकास की प्रचुर क्षमता विद्यमान है। चमड़े के उत्पादों की विपुल निर्यात सम्भावनायें, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का नया चित्रण कर सकता है। ग्रामीण चर्म कर्मियों के उत्पादों की बाजार मांग बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। मध्यप्रदेश चर्म विकास निगम द्वारा उत्पाद संग्रहण केन्द्रों तथा विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा तथा आधुनिक टेनरी का नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।

6.26 बुरहानपुर, जबलपुर तथा अन्य नगरो के पावर लूम उद्योगों की समीक्षा कर, उसके विकास हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

6.27 कृषकों को अभी तक अपने खेत या आँगन में लगे बाँस को काटने के लिये वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक थी। अब यह बन्दिश हटा ली गयी है। किसान अपने खेत व आंगन में लगे बांस बगैर वन विभाग की अनुमति के काट सकते हैं। उन 23 जिलों में जहां बांस प्राकृतिक रूप से उगता है, बांस लाने ले जाने के लिये परिवहन अनुज्ञा पत्र अब ग्राम पंचायत द्वारा ही दिया जायेगा। शेष 22 जिलों में परिवहन अनुज्ञा पत्र रेन्जर जारी करेंगे। इससे बांस शिल्प को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

6.28 डूब से प्रभावित विस्थापितो के पुनर्वास के लिये इच्छुक विस्थापितों को प्रशिक्षण दिया जावेगा और निजी ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जावेगा व उन्हें सहयोग दिया जावेगा।

7. लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों का विकास

7.1 देश से निर्यात हेतु प्रयास, संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में लघु उद्योग क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। राज्य शासन का इस क्षेत्र को गतिशील करने का प्रयास रहेगा। रुग्णता की समस्या के निदान को प्राथमिकता दी जावेगी। इस क्षेत्र की इकाईयों एवं मध्यम तथा वृहद क्षेत्र के मध्य प्रगाढ़ सम्बन्धों के विकास हेतु करों में रियायतों की जो रचना की गई है, वह निकटता तथा परस्पर हितकारी

आधार पर सहायक उद्योग के विकास में हिस्सेदार होगी। इस प्रकार के सम्बन्ध, रोजगार के अवसर निर्माण में भी भागीदार होंगे।

7.2 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योग इकाईयों के लिये विद्यमान विपणन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, प्रदेश में उत्पादित आयटमों का प्रदेश के बाहर से क्रय नहीं करेगी। शासकीय विभागों तथा निगमों द्वारा भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। केवल मंत्रि-परिषद द्वारा ही भण्डार क्रय नियमों में किसी प्रकार की शिथिलता दी जायेगी। अनुबन्धित मूल्य पद्धति शुरु करने का परीक्षण किया जायेगा।

7.3 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को लघु उद्योग क्षेत्र की विकास एवं विपणन संस्था के रूप में पुनः संवारा जा रहा है।

7.4 स्थानीय स्तर पर खरीददारी की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के जिला अधिकारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जायेगा। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया लघु उद्योग इकाईयों से खरीदी एवं भुगतान पद्धति को नियमित करने में सहायक होगी।

7.5 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन हेतु नई विपणन सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

7.6 लघु उद्योगो इकाइयों को निर्धारित समय के अन्दर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उद्योग संचालनालय में अधिकारियों एवं संघों के प्रतिनिधियों की एक समिति प्रत्येक त्रैमास में विलंबित भुगतान के प्रकरणों की समीक्षा करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे प्रकरणों से मुख्य सचिव को सूचित किया जायेगा।

7.7 लघु उद्योग इकाइयों की टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु वित्तीय संस्थाओं एवं बैकों के लिये संयुक्त मूल्यांकन पद्धति बनाई जायेगी। लघु उद्योग क्षेत्र को प्रभावी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु मध्यप्रदेश वित्त निगम के कार्यों की एक समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। इस समिति में प्रदेश स्तरीय लघु उद्योग संगठनों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

7.8 अति लघु, लघु एवं मध्यम तथा वृहद क्षेत्रों के मध्य प्रगाढ़ सम्बन्ध हैं। मध्यम एवं वृहद उद्योगों में अति लघु एवं लघु उद्योगों की वृद्धि हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इसके बदले में लघु एवं अति लघु क्षेत्र द्वारा वृहद एवं मध्यम क्षेत्र को कच्चे माल एवं बीच के सामानों की आवश्यकता की पूर्ति कर सुदृढ़ किया जा सकता है। इनके तेज कौशल उन्नयन का लाभ भी वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा लिया जा सकता है। यदि ये दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करें तो औद्योगीकरण में इसका लाभ, अलग-अलग कार्य करने की अपेक्षा कई गुना अधिक होगा। राज्य शासन द्वारा इस प्रकार के लिंकेज को विकसित एवं सुदृढ़ करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा।

7.9 रुग्णता की समस्या पर शासन का विशेष ध्यान रहेगा। इस हेतु विशेष योजना तैयार की जावेगी।

7.10 रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रानिक उद्योगों की भांति न केवल रोजगार उन्मूलक है, अपितु रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात के माध्यम से प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातक के रूप में प्रतिस्थापित करने की प्रबल सम्भावना भी रखता है। इस उद्योग के विकास हेतु विस्तृत समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की जायेगी।

7.11 लघु उद्योगों के तकनीकी उन्नयन हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। इस हेतु प्रदेश के लघु उद्योगों को राज्य शासन द्वारा आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

7.12 भारत सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु स्थापित विभिन्न तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों आदि के सहयोग से लघु उद्योगों को तकनीकी जानकारियों के आदान-प्रदान हेतु अलग-अलग विषयों पर संगोष्ठियां एवं कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जायेगा।

7.13 भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों की स्थिति का कराये जा रहे विशेष अध्ययन के निष्कर्षों एवं अनुसंधानों का लाभ लेने का प्रयास किया जायेगा।

7.14 लघु उद्योगों के विकास को गति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

7.15 आगामी पांच वर्षों में एक लाख नये लघु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

7.16 राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट अधोसंरचना सुविधायें एवं करों में तथा अन्य रियायतें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त मध्यम एवं वृहद उद्योगों को आकर्षित करने के लिये सुविधाकारी संरचना को सुदृढ़ किया जायेगा।

7.17 राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता एवं मूल्यों पर अतिलघु एवं लघु क्षेत्रों हेतु अनारक्षित आयटम प्रदेश के मध्यम एवं वृहद उद्योगों से, क्रय किये जायेंगे।

7.18 बीमार कपड़ा मिलों की समस्या को राज्य शासन द्वारा सतत ध्यान में रखा जायेगा। बीमार कपड़ा मिलों के लिए गठित मंत्री परिषद उप समिति द्वारा शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा प्रतिवेदन में निहित विचारों का अन्य क्षेत्रों में उपयोग के परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण किया जायेगा।

7.19 मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, प्रदेश में मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विकास हेतु "नोडल एजेन्सी" के रूप में कार्य करेंगी। यह निगम, औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के कार्य परिणामों की समीक्षा एवं विकास केन्द्रों में अधोसंरचना के विकास, विस्तार एवं रख-रखाव हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। निजी क्षेत्रों एवं औद्योगिक संगठनों की भागीदारी से विकास केन्द्रों में अधोसंरचना के विस्तार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाई जायेगी। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा इक्यूटी भागीदारी हेतु मध्यम एवं वृहद क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहायक एवं संयुक्त क्षेत्र के मान्य ढांचे के अन्दर विचार किया जायेगा।

7.20 आगामी पांच वर्षों में चार सौ नये मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य रखे गये हैं।

8. चयनित महत्वपूर्ण उद्योगों को विशेष सुविधायें :

8.1 थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों को विशेष सुविधायें प्रदान की जायेगी।

8.2 राज्य शासन इलेक्ट्रानिक उद्योगों के उच्च तकनीकी एवं सीमांतक क्षेत्र के विकास हेतु विशेष रूप से प्रयत्नशील रहेगा।

8.3 इन्दौर का इलेक्ट्रानिक विकास एवं परीक्षण केन्द्र कुछ माह में पूरी तरह क्रियाशील हो जायेगा।

8.4 इलेक्ट्रानिक के उच्च तकनीकी एवं सीमांतक क्षेत्र के उद्योगों हेतु "प्रौद्योगिकी उद्यान" का विकास किया जायेगा।

8.5 इलेक्ट्रानिक उद्योगों की गतिशीलता एवं तेजी से बदलती प्रकृति को देखते हुए अधिकारियों एवं इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के विशेषज्ञ अधिकारियों का कार्यदल गठित किया जायेगा। यह कार्यदल त्रैमासिक रूप से मिलेगा तथा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों को भविष्य में बढ़ाने के लिये जानकारियों के आदान-प्रदान सहित उपायों की अनुशंसा करेगा।

8.6 इलेक्ट्रानिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए इन उपकरणों के संधारण एवं मरम्मत के नये प्रशिक्षण कार्यक्रम से बेरोजगारों को रोजगार में लगाने के लिये लक्ष्य रखा जायेगा। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना एवं ट्रायसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.7 कृषि आधारित उद्योगों में अधिक लोगों की साझेदारी हेतु सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी अपितु कृषकों को बढ़ी हुई कीमत के उत्पादों का लाभ भी प्राप्त होगा। इस हेतु आवश्यकतानुरूप नियमों एवं अधिनियमों में संशोधन एवं विस्तृत अध्ययन के पश्चात् अनुशंसाओं हेतु मंत्रिपरिषद उपसमिति का गठन किया जायेगा। लघु वनोपज तथा उद्यानिकी प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये विशेष योजनायें तैयार की जायेंगी।

8.8 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अन्य क्षेत्र है जिस पर शासन का गहन ध्यान रहेगा। औद्योगिक इकाइयों को बगैर व्यवधान कच्चे माल के स्वयं सुरक्षित लिंकेज हेतु सम्पूर्ण तहसील को गोद लेने की एक योजना लागू की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रतिबंधित शर्तों पर इन इकाइयों को कच्चे माल की एक ही स्थान से व्यवस्था को सुनिश्चित किया जायेगा। इसका विवरणात्मक वर्णन औद्योगिक इकाई, जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के मध्य हस्ताक्षरित आपसी सहमति ज्ञापन में होगा। अन्य बातों के अलावा यह ज्ञापन, वर्ष दर वर्ष कच्चे माल की मूल्य निर्धारण की पद्धति एवं इकाई द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु सामाजिक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करेगा।

8.9 सोयाबीन पर आधारित उद्योग में विपुल क्षमता बनी हुई है। थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों के अन्तर्गत सोयाबीन प्रोसेसिंग उद्योगों को रियायतें उपलब्ध कराई जायेगी। सोयाबीन पर आधारित उद्योगों के उत्पादनों में वेल्यू एडीशन की दृष्टि से डी-आइल्ड केक से प्रोटीन तथा आइल का उत्पादन करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जायेगी। कच्चे माल के संग्रहण हेतु प्रतिबन्धों को समाप्त किया जायेगा। इस उद्योग के लिये वर्तमान में बहुतायत लायसेंस के युक्तियुक्तकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जायेगी। इस समिति द्वारा कच्चे माल के ग्रेडिंग की पद्धति लागू करने का भी परीक्षण किया जायेगा।

8.10 निजी क्षेत्र की भागीदारी को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में बढ़ौत्री की दृष्टि से अनुपयोगी भूमि के फसलीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे उद्योगों के लिये भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्धित समुचित प्रावधान हेतु परीक्षण किया जायेगा।

8.11 निजी क्षेत्रों को व्यापारिक वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी क्षेत्र को उद्योगों के उपयोग हेतु अनुबन्धित वृक्षारोपण के लिये भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

8.12 खनिज आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर में होने के कारण विशेष सुविधायें मिलेंगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को खनन में प्रोत्साहित किया जायेगा। डायमण्ड पार्क की स्थापना की जायेगी। इससे प्रदेश में हीरे को तराशन पर आधारित उद्योगों की भविष्य में सम्भावनाओं को केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी। खनिज आधारित उद्योगों में रोजगार एवं राजस्व बढ़ाने हेतु पूरी तौर से प्रयास किया जावेगा।

8.13 वस्त्र, चमड़ा एवं रेशम उद्योग को रोजगार क्षमता एवं निर्यात हेतु पूरी तरह से उपयोग के लिये थ्रस्ट सेक्टर में रखा गया है। इन्दौर में रेडीमेड काम्पलेक्स की विकास की गति को तेज किया जायेगा। उपभोक्ताओं की तेजी से बदलती पसन्दगी एवं इस बदलाव से क्षेत्र की तालबद्धता की आवश्यकता हेतु शासकीय एवं इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के कार्यदल का गठन किया जायेगा। कार्यदल प्रत्येक तीन माह में मिलकर इस क्षेत्र के और विकास हेतु व्यूह रचना करेगा एवं अपनी अनुशंसा शासन को देगा।

8.14 भारत पेट्रोकेमिकल्स द्वारा बीना, जिला सागर में स्थापित किये जा रहे तेल शोधन कारखाने को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पर आधारित योजना तैयार की जायेगी।

8.15 कृषि आधारित अनुपयोगी पदार्थों के उपयोग एवं शहरी अनुपयोगी पदार्थों से खाद के उत्पादन हेतु विशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन संयंत्रों की स्थापना से स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कम होने के साथ-साथ नई औद्योगिक तकनीकी के माध्यम से कृषकों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

9. वाणिज्यिक विकास :

9.1 औद्योगिक विकास की बढ़ौत्री एवं सुदृढ़ीकरण में विस्तारित वाणिज्यिक गतिविधियां, एक महत्वपूर्ण तत्व है।

9.2 शासन द्वारा वाणिज्य को सुविधा देने के लिए उपाय किये जायेंगे। करों की संरचना का सरलीकरण एवं कर नियम के प्रशासन को सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाया जायेगा।

9.3 यदि आवश्यक हुआ तो लायसेंस एवं निरीक्षणों की वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा कर संशोधित किया जायेगा।

9.4 व्यापार मेले नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे। भोपाल में एक व्यापार केन्द्र स्थापित कर क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

9.5 भोपाल, इन्दौर एवं रायपुर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी हेतु भारत सरकार से सम्पर्क कर प्रयास किये जायेंगे। प्रदेश के अन्य शहरों को नियमित वायु सेवा से जोड़ने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

9.6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सुदृढ़ अधोसंरचनात्मक सहारे के लिये "कंटेनर डिपो" तथा "एयर कारगो काम्पलेक्स" खोले जायेंगे।

10. उत्तरदायी प्रशासन :

10.1 नीतियों का प्रभावी ढंग से प्रेषण एवं क्रियान्वयन, बहुत हद तक प्रशासनिक संरचना एवं कार्यविधि पर निर्भर है। राज्य शासन द्वारा औद्योगीकरण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशासन को और संवेदनशील बनाया जायेगा।

10.2 प्रशासनिक बनावट में नियंत्रित प्रबन्धकीय भूमिका को सुविधाकारी भूमिका में ढालने का बदलाव लाया जा रहा है।

10.3 उद्योगों को बढ़ावा देने तथा राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर (विक्रय कर) की प्रणाली में व्यापक सुधार किये गये हैं। नवीन औद्योगिक इकाई को पूर्व में पंजीयन प्राप्त करने के लिये नगद प्रतिभूति प्रदान करना होती थी। अब प्रतिभूति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। विक्रय कर की जांच चौकियां जो राज्य की सीमाओं पर कार्यरत थी, उन्हें दि. 1-4-94 से समाप्त कर दिया गया है। इस से राज्य के अन्दर तथा बाहर माल का आवागमन सुगम हो गया है, तथा औद्योगिक इकाईयों को जांच-चौकी पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्ति मिल गई है। इसी प्रकार विक्रय कर विभाग में कार्यरत सभी उड़ दस्ते दि. 1-4-94 से समाप्त कर दिये गये हैं। विक्रय कर निरीक्षक तथा विक्रयकर विभाग के अन्य अधिकारियों के उद्योग एवं व्यवसाय स्थल की जांच के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं। अब कोई भी जांच राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां महत्वपूर्ण क्षेत्र में इन्सपेक्टर राज समाप्त कर दिया गया है। निर्माता व्यवसाइयों (औद्योगिक इकाईयों) को यदि उनकी वार्षिक विक्रय राशि दस लाख रुपये तक है तो स्व-कर निर्धारण (Self assessment) की सुविधा प्रदान की गई है। औद्योगिक इकाईयों के लिये कर दायित्व हेतु वार्षिक विक्रय राशि की सीमा 20 हजार रुपये से बढ़ा कर 50 हजार कर दी गई है।

10.4 (1) औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शान्ति आवश्यक है। यह तभी संभव है जब नियोजकों व श्रमिकों के बीच सद्भावना पूर्ण सम्बन्ध हों। औद्योगिक विवाद की स्थिति के उग्ररूप धारण करने के पूर्व यह प्रयास किया जायेगा कि उसका समाधानकारक हल निकले। आवश्यकतानुरूप औद्योगिक संबंध मशीनरी को अधिक गतिशील बनाया जायेगा।

(2) औद्योगिक क्षेत्र में दबाव, अशांति एवं हिंसा की प्रवृत्तियों को दृढ़ता से रोकने का प्रयास किया जावेगा। श्रमिकों के मान्य अधिकारों के संरक्षण के प्रयास के साथ ही साथ अनुचित एवं अवैधानिक हड़तालों को निरुत्साहित किया जायेगा और आवश्यकतानुरूप उन्हें दृढ़ता से रोका जायेगा।

(3) नियोजकों से अपेक्षा की जावेगी व उन्हें प्रेरित किया जावेगा कि वे श्रमिकों की उचित मांगों को मानकर कामबंदी, आन्दोलन आदि की स्थिति निर्मित न होने दें।

(4) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जावेगा।

(5) औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने का प्रयास किया जावेगा।

10.5 जिला उद्योग केन्द्रों की "एकल खिड़की प्रणाली" को और सुदृढ़ एवं त्वरित परिणाममूलक बनाया जायेगा। उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को प्रस्तुति के समय ही परीक्षण कर अपूर्ण होने की स्थिति में पूर्ण करने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी।

10.6 जिला उद्योग केन्द्रों में "सूचना प्रकोष्ठ" को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर स्थापित कर इन्हें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

10.7 जिला उद्योग केन्द्रों के प्रबन्धकों को लघु उद्योग हेतु "नोडल अधिकारी" नामांकित किया जायेगा। इन नोडल अधिकारियों द्वारा "उद्योग मित्र" के रूप में कार्य करने की पद्धति अपनाई जायेगी। उद्योग मित्र द्वारा इकाईवार "क्रियाशील पत्रक" रखे जावेंगे। लघु उद्योगों को निर्धारित समयावधि में विभागीय सुविधायें प्रदान करने एवं इनकी समस्याओं के निदान हेतु "उद्योग मित्र" उत्तरदायी होंगे।

10.8 विकास केन्द्रों में स्थापित होने वाले मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के प्रबन्ध संचालक तथा विकास केन्द्रों के बाहर स्थापित होने वाले मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, "नोडल अधिकारी" होंगे। इनके द्वारा उद्यमियों को औपचारिकताओं की जानकारी सहित आवेदन पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सम्बन्धित विभागों को आवेदन पत्र अग्रेषित कर समयबद्ध रूप से अनुपालन भी किया जायेगा। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रकरणों का न केवल स्थानीय स्तर पर अपितु राज्य स्तर पर भी अनुपालन किया जायेगा। राज्य शासन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होने पर, नोडल अधिकारी द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग की अध्यक्षता में अन्तर विभागीय कार्यदल (आई.ए.जी.) की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। प्रकरण का मामला अन्तर विभागीय कार्यदल में हल न होने की स्थिति में इसे तत्काल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध होगी।

10.9 पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति हेतु कार्य-प्रणाली को सरल, सुगम एवं अधिक पारदर्शी बनाया जायेगा। आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु समय-सीमा निश्चित की जायेगी। आवेदन पत्रों का तीव्र गति से परीक्षण करने के लिये आवश्यकतानुसार प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं अन्य संस्थाओं से आवेदन पत्रों का संयुक्त परीक्षण करवाया जायेगा।

10.10 जनजाति बाहुल्य जिलों में अत्यन्त वृहत् प्रमाप की इकाइयों की स्थापना के पूर्व, जनजातियों के विशेष समस्याओं, संस्कृति तथा पुनर्वास की प्रस्तावित व्यवस्था आदि के परिप्रेक्ष्य में विशेष परीक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10.11 पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति के नवीनीकरण की समयावधि के पुनर्निर्धारण एवं आवेदन पत्रों के सरलीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

10.12 तीन माह से अधिक अवधि वाले पर्यावरण संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-विभागीय समिति का गठन किया गया है।

10.13 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एप्को तथा ग्राम एवं नगर निवेश विभाग द्वारा वायु, जल एवं स्थल अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत आवश्यकताओं सम्बन्धी संयुक्त मार्गदर्शिका प्रकाशित की जायेगी। मार्गदर्शिका की प्रतियां औद्योगिक संगठनों तथा उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

10.14 प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुगम, सरल एवं सुनिश्चित पारदर्शी बनाने को ध्यान में रखते हुए निरन्तर समीक्षा की जायेगी। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर विभागीय समिति गठित की गई है। इसमें औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

10.15 हाथकरघा संचालनालय के अन्तर्गत कार्यरत जिला/सम्भागीय हाथकरघा कार्यालयों को अधिक सक्षम बनाया जायेगा।

10.16 कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विकास को सुदृढ़, जिला स्तरीय प्रशासनिक आधार प्रदान करने के दृष्टिकोण से जिला उद्योग केन्द्रों में अतिरिक्त महाप्रबन्धक (ग्रामोद्योग) नामांकित किये जायेंगे। अतिरिक्त महाप्रबन्धक (ग्रामोद्योग), जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के विकास हेतु उत्तरदायी होंगे।

औद्योगिक नीति एवं कार्य-योजना, 1994 प्रदेश के औद्योगीकरण को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नई गति प्रदान करेगी। इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग सहित लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के मध्य परस्पर नये लिंकेज सुदृढ़ होंगे तथा रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा। यह नीति-पत्रक औद्योगिक संगठनों तथा उद्यमियों से निरन्तर संवाद स्थापित करने की कार्यशैली निर्मित करेगा।

औद्योगिक नीति एवं कार्य-योजना, 1994 मध्यप्रदेश शासन के औद्योगीकरण हेतु लम्बी अवधि के प्रयासों की एक उद्घोषणा है। यह पांच वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी।